

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन द्वितीय तल 'सी' विंग, 59 अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 2677 / एमजीएनआरईजीएस / NR-2/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 15/04/2017

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
जिला - समस्त।

विषय :- ग्राम रोजगार सहायक के संविदा नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भ :- म.प्र.रा.रो.गा. परिषद् का पत्र क्रं. 5335/एनआरईजीएस-म.प्र./स्था./NR-2/2012 भोपाल,
दिनांक 02/06/2012।

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के पैरा 11 (संविदा नियोजन की कालावधि एवं कार्य मूल्यांकन), 12
(अनुबंध) तथा संविदा अनुबंध की कंडिका क्रं. 03 में निम्नानुसार आवश्यक संशोधन किया जाता है :-

1. दिनांक 01 अप्रैल 2017 से ग्राम रोजगार सहायक के वार्षिक संविदा अवधि वृद्धि एवं संविदा अनुबंध ग्राम पंचायत, सरपंच के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत करेंगे।
2. ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों पर नवीन संविदा नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित जनपद पंचायत द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की पूर्व लिखित अनुमति लेकर की जा सकेगी।

अनुबंध के निष्पादन की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(जी. व्ही. रश्मि)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पृ० क्रं./2678 / एमजीएनआरईजीएस / NR-2/2017

भोपाल, दिनांक : 15/04/2017

प्रतिलिपि :-

1. विकास आयुक्त, द्वितीय तल विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल।
4. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल।
5. संभागायुक्त, संभाग (समस्त)
6. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
7. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल